भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 343

04 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: सतत कृषि के लिए पहल

343. सुश्री एस॰ जोतिमणिः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कम किराए पर सतत फार्मिंग और कृषि मशीनरी के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहन देगी;

(ख) क्या सतत फार्मिंग के लिए तमिलनाडु में विशेषकर करूर संसदीय चुनाव क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसानों की आय बढ़ाने और फार्मिंग लागत को कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) किसानों की आय को दोगुणा करने संबंधी समिति (वॉल्यूम XIV, सितम्बर, 2018) की रिपोर्ट में व्यापक नीतिगत सिफारिश के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;

(ङ) देश में कृषि संकट के समापन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) सतत फार्मिंग से कृषि परिवारों की वास्तविक आय में वृद्धि के आकलन के लिए क्या कोई अध्ययन किया गया है/किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): डीएसीएंडएफडब्ल्यू किसानों को सतत खेती और कृषि मशीनरी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

वर्ष 2015 में शुरू की गई परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) क्लस्टर दृष्टिकोण और पीजीएस प्रमाणीकरण में जैविक खेती की सहायता के लिए पहली व्यापक योजना है। समूह के अंतर्गत किसान प्रति हेक्टेयर 50,000 रूपये की सहायता के साथ अधिकतम 2 हेक्टेयर तक का लाभ उठा सकता है, जिसमें से 62% अर्थात 31,000 रूपये जैविक रूपांतरण, जैविक आदानों, ऑन फार्म आदानों, उत्पादन अवसंरचना आदि के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) उपभोक्ताओं के साथ उत्पादकों को जोड़ने और आदानों, बीज, प्रमाणन से प्रारंभ करते हुए और संग्रहण, समेकन, प्रसंस्करण, विपणन के लिए सुविधाओं को तैयार करने तथा तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण के साथ ब्रांड बिल्डिंग पहल की समग्र मूल्य श्रृंखला विकास को सहायता देने के लिए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन के विकास के लिए है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी): मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना देश में वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी ताकि 12 मृदा मापदंडों के परीक्षण के आधार पर उर्वरक का उपयोग किया जा सके। 2 द्विवार्षिकी चक्रों के परिणामस्वरूप किसानों द्वारा उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है।

पादप संरक्षण एवं पादप संगरोध उप-मिशन समेकित कीट प्रबंधन को बढ़ावा देता है और किसानों को रासायनिक कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में शिक्षित करता है तथा लेबल और लीफलेट पर निर्धारित निर्देशों के अनुसार उपयोग करने की सलाह देता है। यह कीट नियंत्रण के कल्चर, मैकेनिकल और बायो-लॉजिकल पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहता है और अंतिम उपाय के रूप में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग की सिफारिश करता है।

कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित किया जा रहा है और छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष फोकस के साथ कृषि यंत्रीकरण के समावेशी विकास के लिए सभी कार्यकलापों को कवर करते हुए एकल विंडो प्लेटफार्म की सुविधा प्रदान करता है और इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) छोटे और सीमांत किसान वाले ऐसे क्षेत्रों में जहां कृषि ऊर्जा की उपलब्धता फार्म मशीनरी के लिए बहुत कम है, की पहुंच को बढ़ाना;
(ii) छोटे भूमिधारक और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल लाभ की भरपाई करने के लिए 'कस्टम हायरिंग केंद्रों' को बढ़ावा देना;
(iii) उच्च तकनीकी एवं उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए हब बनाना;
(iv) प्रदर्शन एवं क्षमता निर्माण कार्यकलापों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता सजृन करना;
(v) पूरे देश में स्थित नामित परीक्षण केंद्रों के प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना।

(ख): डीएसीएंडएफडब्ल्यू, तमिलनाडु सहित देश में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल का कार्यान्वयन कर रहा है।

पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल के तहत तमिलनाडु के करूर जिले में जारी की गई निधि तथा उपलब्धि और प्रगति का विवरण अनुबंध-I पर है

(ग) डीएसीएंडएफडब्ल्यू की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना, आदान की लागत को कम करना, किसानों को मिलने वाले लाभकारी आय और सहायता प्रदान करके किसानों का कल्याण करना है। विवरण **अनुबंध-II** पर हैं।

(घ) सरकार ने अप्रैल, 2016 में "किसानों की आय दोगुनी करने" से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इसके लक्ष्य को प्राप्त करने कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया। इस समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी रिपोर्ट

सौंप दी। समिति ने आय वृद्धि के सात स्रोतों की पहचान की है अर्थात फसल उत्पादकता में सुधार; पशुधन उत्पादकता में सुधार; उत्पादन की लागत में दक्षता और बचत का संसाधित उपयोग; फसलन सघनता में वृद्धि; उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाना; किसानों द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्यों में सुधार; और खेत से गैर-फार्म व्यवसायों में बदलाव। इसके पश्चात की सिफारिशों की प्रगति की मॉनिटरिंग और समीक्षा करने के लिए दिनांक 23.01.2019 को एक अधिकार प्राप्त निकाय की स्थापना की गई थी। सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में किसानों की आय दोगुनी करने की कार्यनीति के अनुरूप किए गए प्रयासों के कारण कृषि क्षेत्र में दक्षतापूर्ण ढंग से सकारात्मक प्रभाव लाने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(ड.) पैरा (ग) के अनुरूप

(च) सरकार ने देश में कृषि परिवारों की स्थिति, उनकी आय, व्यय, ऋणग्रस्तता आदि के व्यापक आकलन प्रदान करने के लिए कृषि वर्ष जुलाई 2018 -जून 2019 के संदर्भ के साथ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 77वें राउंड (जनवरी 2019-दिसंबर 2019) के दौरान अगला " कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण" का संचालन करने का निर्णय लिया।

समेकित कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर एआईसीआरपी के माध्यम से आईसीएआर-भारतीय खेती प्रणाली अनुसंधान संस्थान और अखिल भारत जैविक खेती नेटवर्क कार्यक्रम 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीमांत और छोटे किसानों की भागीदारी के साथ समेकित खेती प्रणालियों और जैविक खेती पर अनुसंधान कर रहा है। समेकित खेती प्रणाली पर एआईसीआरपी के ऑन-स्टेशन घटक के तहत विकसित किए गए 45 टेलर ने 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रोटोटाइप समेकित खेती प्रणाली मॉडल तैयार किए। ये मॉडल अवशिष्ट को रिसाईकलिंग करके किसानों की आय में सुधार करना और खेती लागत को कम करने का अवसर प्रदान करता है।

अताप्र.सं. 343

अनुबंध-I

देश भर में पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत जारी निधि और उपलब्धि की स्थिति

वर्ष	निर्मक्ति (रूपये करोड़ में)	उपलब्धि (सूक्ष्म सिंचाई का कवरेज) (हेक्टेयर)
2015-16	1556.73	572980
2016-17	1991.24	839961
2017-18	2819.49	1048934
2018-19	2918.38	1158519
2019-20 (20/1/2020 तक)	1460.08	567658

करूर जिले, तमिलनाडु में पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत उपलब्धि की विस्तृत स्थिति

वर्ष	तमिलनाडु को निर्मुक्ति (रुपये करोड़ में)	तमिलनाडु के करूर जिले में उपलब्धि (सूक्ष्म सिंचाई का कवरेज) (हेक्टेयर)
2015-16	129.78	522
2016-17	143.5	637
2017-18	369.55	1659
2018-19	355	2880
2019-20	204	2616

i. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की अग्रणी योजना का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

ii. 'प्रति बूंद अधिक फसल" पहल जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग के लिए तथा आदान लागत को कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

iii. "परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)" जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

iv. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी व प्रतिस्पर्द्धात्मक ऑनलाइन व्यापार प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत की गई है।

v. जोखिम शमन के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से खरीफ, 2016 मौसम से फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की गई। यह योजना विशिष्ट स्थितियों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है और किसानों को बहुत कम प्रीमियम अंशदान देना पड़ता है।

vi. "हर मेढ़ पर पेड़" के अंतर्गत अतिरिक्त आय के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2018 में पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की गई है ताकि गैर-वन्य सरकारी एवं साथ ही निजी भूमि पर बांस रोपण को बढ़ावा दिया जा सके और मूल्य संवर्धन, उत्पाद विकास और बाजारों पर बल दिया जा सके।

vii. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 मौसम से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

viii. किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)" का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट, 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

ix. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को परागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

x. किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त करने वाले ऋण सहित रियायती अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006-07 में ब्याज छूट योजना (आईएसएस) की शुरुआत की गई।

xi. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में अल्पावधि/दीर्घावधि खेती आवश्यकता, फसलोपरांत व्यय, खपत मांग आदि को पूरा करने के लिए किसानों को समय पर ऋण प्रदान करने के लिए की गई। केसीसी का कार्यान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों (आरआरबी) द्वारा किया जाता है। यह विभाग सभी पात्र किसानों को केसीसी जारी करने के लिए सक्रिय रुप से बढ़ावा दे रही है ताकि वे संस्थागत ऋण की सीमा के तहत आ सकें।

xii. देश भर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने, कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के साथ-साथ घरेलू आवश्यकता से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है।

xiii. इसके अलावा, सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजिविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें।

*****